भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-714
दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

पंजाब में नई ताप विद्युत इकाइयाँ

714. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य में रोपड़ (जिसे रूपनगर भी कहा जाता है) में दो इकाइयों और किसी नए स्थान पर एक इकाई के साथ 800 मेगावाट की तीन नई ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना को स्वीकृति दी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ढुलाई दूरी की सीमाओं में ढील देकर या अन्य उपायों के माध्यम से कोयला परिवहन संबंधी समस्याओं का समाधान किया है और यदि हां, तो इन कदमों का निर्वाध ईंधन आपूर्ति और बिजली उत्पादन पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इन नई इकाइयों के शुरू होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और कुल कितनी अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी; और

(घ) क्या यह निर्णय पंजाब की तेजी से बढ़ती बिजली मांग और ईंधन आपूर्ति की बाधाओं को देखते हुए लिया गया है और यदि हां, तो परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन और कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करना एक गैर-लाइसेंस गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बिना लाइसेंस के उत्पादन केंद्र स्थापित, प्रचालित और रखरखाव कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो।

किसी राज्य में विद्युत की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है।

भारत सरकार ने कोयला आपूर्ति संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

i. **कोयला लिंकेज का युक्तिकरण**: कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाने की नीति कोयला खदानों से उपभोक्ता तक कोयले के परिवहन की दूरी को कम करने के लिए शुरू की गई है।.

ii. **कोयला उपयोग में अनुकूलन**: भारत सरकार ने मई, 2016 में राज्य/केन्द्रीय विद्युत कम्पनियों को उनके उत्पादन केन्द्रों के बीच घरेलू कोयले के उपयोग में अनुकूलन प्रदान किया था, ताकि उनके सर्वाधिक कार्यकुशल संयंत्रों को अधिक कोयला आवंटित करके तथा परिवहन लागत में बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम किया जा सके।

iii. **कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति**: कोयला मंत्रालय ने आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति शुरू की है। इस योजना के तहत, महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को अभिचिह्नित किया गया है, जो रेल संपर्क में सुधार, समय पर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे देश भर में कोयला परिवहन की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।

****